भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1919**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

मृदा परीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग

1919. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशेषकर रायथू भरोसा केन्द्रों (आरबीके) के माध्यम से मृदा परीक्षण के लिए ड्रोन के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मृदा परीक्षण के लिए ड्रोन की तैनाती हेतु की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है और ड्रोन से सुसज्जित रायथु भरोसा केन्द्रों की संख्या और उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) मृदा परीक्षण हेतु ड्रोन का संचालन करने वाले किसानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या और उन पर पायलट परियोजना के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि गतिविधियों में प्रयुक्त ड्रोनों के लिए सुरक्षा विनियमों और डीजीसीए-प्रमाणन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ड.) क्या सरकार की उक्त राज्य में कृषि उत्पादकता और सततता को बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण से परे ड्रोन के उपयोग का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड़): भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "नमो ड्रोन दीदी (एनडीडी)" शुरू की है। इस स्कीम में, चयन किए गए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) को कृषि क्षेत्र में व्यापार के अवसर देने के लिए 15000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्कीम बेहतर दक्षता के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करने, फसल की उपज बढ़ाने और किसानों के लाभ के लिए प्रचालन की लागत को कम करने में मदद करेगी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित भारत में मृदा परीक्षण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एनडीडी स्कीम के अंतर्गत, ड्रोन पायलट और सहायक ड्रोन पायलट के रूप में विभिन्न एसएचजी की 108 महिलाओं को प्राधिकृत आरपीटीओ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है जो डीजीसीए द्वारा प्रमाणित है। पायलटों को डीजीसीए के सुरक्षा विनियमों और डीजीसीए प्रमाणन मानकों पर प्रशिक्षित किया गया था।

****